

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 220 सन 2022

अनवान :-

1. कृष्णा देवी पुत्री सन्तोष पत्नी रामेश्वर जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शारदा पुत्री सन्तोष पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

### बनाम

1. सन्तोष पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सरबती पुत्री सन्तोष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. रामनिवास पुत्र सन्तोष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 139/66 की कुल 1.4170हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 90/93 की कुल 1.3420हैक् भूमि मदनलाल पुत्र तुलछाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 3.2890हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता मदनलाल पुत्र तुलछाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वादी की माता एवं उसके पिता के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 3 आरएमएस की भूमि वादीयागण को प्राप्त हुई थी जिसे वादीयागण काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि वादीयागण के नाम दर्ज नहीं है उनकी माता के नाम से दर्ज है जिससे वादीयागण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीयागण परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीयागण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार वादीयागण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति मदनलाल पुत्र तुलछाराम ने

सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके / प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की माता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि के अलावा अन्य चकों की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि पर काबिज है रोही मौजा चक 3 आरएमएस की भूमि वादीयागण को प्राप्त हुई थी जिस पर वादीयागण काबिज है जिसे वादीयागण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 139/66 की कुल 1.4170 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 90/93 की कुल 1.3420 हैक् भूमि मदनलाल पुत्र तुलछाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 3.2890 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता मदनलाल पुत्र तुलछाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वादी की माता एवं उसके पिता के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 3 आरएमएस की भूमि वादीयागण को प्राप्त हुई थी जिसे वादीयागण काशत कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि वादीयागण के नाम दर्ज नहीं है उनकी माता के नाम से दर्ज है जिससे वादीयागण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीयागण परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई /पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का

 निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 139/66 की कुल 1.4170 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 90/93 की कुल 1.3420 हैक् भूमि मदनलाल पुत्र तुलछाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 3.2890 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता मदनलाल पुत्र तुलछाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि में भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि का आपसी सहमति परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें रोही मौजा चक 3 आरएमएस की भूमि वादीया को प्राप्त हुई है अर्थात रोही मौजा चक 3 आरएमएस की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों को त्याग किया हुआ है वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीयागण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीयागण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 87/84 की कुल 3.2890 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 139/66 की कुल 1.4170 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 90/93 की कुल 1.3420 हैक् भूमि मदनसिंह के नाम से दर्ज है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्णा देवी पुत्री सन्तोष पत्नी रामेश्वर जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शारदा पुत्री सन्तोष पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सन्तोष पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सरबती पुत्री सन्तोष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. रामनिवास पुत्र सन्तोष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 220 सन 2022 निर्णय दिनांक- 21/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 87/84 की कुल 3.2890हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 139/66 की कुल 1.4170हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 90/93 की कुल 1.3420हैक् भूमि मदनसिंह के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )